न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—400/2019 /223(2019/00400)

1. जगदीश पुत्र श्री फूलचंद जाति रेगर आयु 32 वर्ष निवासी डांसरौली दांतारामगढ़ जिला सीकर हाल निवासी ग्राम भदूण, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़, अजमेर

रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.8.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ , प्रकरण नम्बर 4/16.

उपस्थितः—

1. श्री योगेन्द्र सिंह, हेमसिंह राठौड,अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 01

निर्णय

दिनांकः— 30.08.2022.

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा वाद संख्या 4/16 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2019, के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 177 राज.काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बकरवालियॉ के वादग्रस्त खसरा नम्बर 38 रकबा 10 बीघा स्थित है जो कि अप्रार्थी की खातेदारी में राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2060—2072 के खाता संख्या 95 पर दर्ज है। प्रार्थी भूमिधार से अप्रार्थी ने बतौर खातेदार के भूमिधार की हुई है। वाद अधीन भूमि कृषि भूमि है जिस पर खेती काश्त करने के अलावा अप्रार्थी अन्य कोई अकृषि कार्य नहीं कर सकता है। अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजी पर बजरी का अवैध खनन किया जाना पाया गया है। पटवारी हल्का सिनोदिया की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा नम्बर में बजरी खान के कारण बडे—बडे खडे बने हुए है एवं अप्रार्थी अकृषि कार्य करने के लिए अधिकृत नही है। अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त करते हुए वाद अधीन भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित फरमाये। उक्त प्रार्थना—पत्र में जवाब प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण में तीन तनकीयाम कायम की जाकर, वाद साक्ष्य व सुनवाई कर दिनांक 29.08.2019 को दावा वादी/प्रार्थना—पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

स्वीकार कियो जाने का निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.05.2019 को रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी को वादग्रस्त खसरा नम्बर 38 की मौका रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया जिसकी पालना में रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी ने वादग्रस्त खसरा नम्बर 38 की पटवार हल्का सिनोदिया की मौका रिपोर्ट मय फोटोग्राफ दिनांक 21.05.2019 अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की जिसके प्रथम दृष्टया अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 38 की भूमि पर अपीलांट द्वारा कोई अकृषि कार्य नहीं किया गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट के विरूद्ध जाकर मनमानी तरीके से धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि को राजकीय भूमि दर्ज करने व अपीलांट को भूमि से बेदखल करने का निर्णय पारित किया है, जबकि धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत निम्न प्रावधान अपवाद के रूप में उपबन्धित है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है। "परन्तु इस अधिनियम के उपबन्धो के अनुसार वृक्ष लगाना या कोई सुधार करना, इस धारा के अन्तर्गत बेदखली का आधार नही होंगा"। उक्त भूमि पर वर्ष में एक बार पर्याप्त वर्षा उपरान्त ही खरीफ की फसल काश्त की जाती है। अप्रार्थी द्वारा ग्राम रूपनगढ़ से होकर गुजरने वाली रूप नदी क्षेत्र का अवलोकन करने के दौरान दिनांक 3.11.2015 को वादग्रस्त खसरा नम्बर 38 की भूमि पर स्वप्रेरणा से अकृषि कार्य की रिपोर्ट बनाकर धारा 177 राज. काश्त. अधि. के अन्तर्गत करीब 8 माह बाद प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जिसका अपीलांट ने आर्डर 8 नियम 5 सी.पी.सी. के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से खण्ड करते हुए जवाब में यह अंकित किया कि उसके द्वारा वादग्रस्त खसरा नम्बर 38 की भूमि पर कोई अकृषि कार्य नहीं किया गया है प्रकरण दुर्भावनावश दर्ज करवाया गया है जिन तथ्यों को अप्रार्थी की ओर से आर्डर 8 नियम 9 सी.पी.सी के अन्तर्गत कोई जवाब–उल– जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया है जो एक स्वीकृत तथ्य है। रेस्पोडेन्ट ने प्रकरण के साथ पेश दस्तावेजों को स्वयं की एवं गवाहन की विश्वसनीय साक्ष्य से अधिनस्थ न्यायालय में साबित ही नहीं किया जबकि अपीलांट ने आर्डर 18 नियम 4 सी.पी.सी. में स्वयं की साक्ष्य प्रस्तुत कर दस्तावेज /फोटोग्राफ पेश कर प्रमाणित किया अपीलांट की साक्ष्य पर रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी ने कोई जिरह भी नहीं की इस प्रकार अपीलांट की साक्ष्य अखण्डित रही उसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की खातेदारी भूमि को सिवायचक करने व अपीलांट को भूमि से बेदखल करने का दिनांक 29.8.2019 को निर्णय पारित कर दिया। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 02 व 3 भी विधि विरूद्ध पारित की है क्योंकि वादग्रस्त खसरा नम्बर 38 की भूमि पर वृक्षारोपण हो रहा है एवं भूमि समतल है जो सलंग्न फोटोग्राम से भी स्पष्ट है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ का निर्णय दिनांक 28.09.2019 को निरस्त फरमाया जावें।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद कारण दिनांक 06.06.2016 को अप्रार्थी द्वारा वाद अधीन भूमि पर अवैध बजरी खनन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उत्पन्न हुआ। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 भूमि धारक से अप्रार्थी/अपीलांट संख्या 01 ने बतौर खातेदार के भूमि धारित की हुई है। विवादित भूमि कृषि भूमि है, जिस पर खेती काश्त करने के अलावा अप्रार्थी/अपीलांट अन्य कोई अकृषि भूमि कार्य नही कर सकता है तथा अकृषि कार्य करने के लिए अधिकृत नही है। अप्रार्थी/अपीलांट अवैध बजरी खनन कार्य कर रहा था, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राज.सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र विधि सम्मत प्रस्तुत किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित कारण को सही पाये जाने से उक्त प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज फरमाया जावें।

6. हमनें अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक के द्वारा की गई कि गई बहस पर मनन किया एवं प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में जो ग्राउण्ड लिये है उसका कोई साबित करने बाबत् कोई साक्ष्य/सबूत न तो अधीनस्थ न्यायालय में किया है तथा ना ही अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत किये है। अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली का अवलोकन करने पर पाते है कि जिस पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 21.05.2019 को आधार बनाकर अपीलांट द्वारा अनुतोष चाहा गया है वह अधीनस्थ न्यायालय में प्रदर्श नहीं हुई है और न ही अपीलेट कोर्ट में सी.पी.सी. ऑर्डर 41 आर 27 द्वारा इसको पत्रावली में प्रस्तुत किया गया है अतः यह ग्राहय दस्तावेजी साक्ष्य नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में यह साबित हुआ है कि अप्रार्थी/अपीलांट का मौके पर बजरी खनन करना पाया है, अवैध खनन करते पाये जाने पर तहसीलदार,रूपनगढ़ द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राज.काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही विधि सम्मत थी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश भी विधि सम्मत होने से अपील अपीलांट खारिज योग्य पायी जाती है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2019 यथावत् रखा जाता है तथा साथ ही उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि जो ग्राउण्ड अपील में लिये जा रहे है, ऐसा कोई खण्डन विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा नही किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) से यह तय है कि अपीलांट द्वारा अवैध खनन किया है,निर्णय दिनांक 29.08.2019 को पुष्ट किया जाता है। तहसीलदार, रूपनगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि धारा 177 राज.काश्तकारी अधिनियम की पालना में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 178 की डिक्री प्राप्त करने के लिए उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ के समक्ष आवेदन कर अपीलांट की विधिवत बेदखली की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर